

अंतरराष्ट्रीय गुजराती गैंग की चार महिलाएं गिरफ्तार

जयपुर। विधायकपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों में सवारियों के साथ समूह में बैठकर वारदात करने वालीअंतरराष्ट्रीय गुजराती गैंग की एक ही परिवार की चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामना आया है कि रेल्वे स्टेशन एवं कच्ची बस्ती में रहते हैं। जो दिनभर शहर में घूम कर रैकी करके ऑटो रिक्शा में अकेली महिला के साथ बैठकर ज्वैलरी व नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम देती हैं और फिर दिल्ली एवं अहमदाबाद में जाकर वारदात के माल को ठिकाने लगाते है। इस गैंग ने माणकचौक, दूदू पुलिस थानों एवं अन्य थाना इलाका में दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपित महिलाओं से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि विधायकपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों में सवारियों के साथ समूह में बैठकर बातों



विधायकपुरी थाना पुलिस ने वाहनों में सवारियों के साथ समूह में बैठकर वारदात करने वाली चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है।

में लगाना, ठेग लगाना, धक्का मारकर नजर बचाकर पर्स एवं गहने चुराने वाली गुजराती गैंग की शांति महिलाएं अंजनी उर्फ पंखुड़ी, सुशीला, पिंगी

और वसन को गिरफ्तार किया है। चारों ही महिलाएं एक ही परिवार की हैं और गुजरात हाल खानाबदोश बेनाड रेलवे स्टेशन रहने वाली है। पुलिस पूछताछ

- वाहनों में सवारियों के साथ समूह में बैठकर वारदात करती हैं महिलाएं
- बातों में लगाना, ठेग लगाना, धक्का मारकर नजर बचाकर पर्स एवं गहने चुराने की वारदातों को अंजाम देती हैं

में सामने आया है कि बातों में लगाना, ठेग लगाना, धक्का मारकर नजर बचाकर पर्स एवं गहने चुराने की वारदात को देती हैं। अंजाम और फिर अपने पुरुष सहयोगियों के मार्फत दिल्ली, अहमदाबाद आदि स्थानों पर माल को बेच देती है। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें देखने की आशंका जताई जा रही है।

‘दंत चिकित्सकों का परिवीक्षा काल अधिक क्यों?’

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, प्रमुख वित्त सचिव और प्रमुख कार्मिक सचिव से पूछा है कि समान कार्य और पद होने के बावजूद दंत चिकित्सकों का परिवीक्षा काल मेडिकल ऑफिसर के मुकाबले दो साल का क्यों रखा गया है। अदालत ने इन अधिकािरियों से यह भी बताने को कहा है कि दंत चिकित्सकों को परिवीक्षा काल में मेडिकल ऑफिसर के समान भत्ते का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुंकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ प्रियंका सेनी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

संगठन की सफलता के प्रति समर्पण आवश्यक : बंठिया

जयपुर। सीआईआई-यंग इंडियंस अजमेर चैप्टर ने आज अभिनव बंठिया, प्रबंध निदेशक-मनु यंत्रालय प्रा. लि. के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। अपने संबोधन के दौरान, अभिनव बंठिया ने युवा उद्यमियों को इस बात पर जोर दिया कि अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की तीव्र इच्छा प्रदर्शित करना किसी की भूमिका के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह न केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि संगठन की सफलता के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है।

सत्र के दौरान, साक्षी अग्रवाल, अध्यक्ष, वाई अजमेर चैप्टर ने साझा कि कि बंठिया के साथ आपन डिवसकस ने युवा उद्योग प्रतिनिधियों को उद्यमिता की यात्रा में आवश्यक चुनौतियों और प्रतिबद्धता के स्तर के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीयू, कोटा के पूर्व कुलपति राम अवतार गुप्ता के खिलाफ पांच लाख रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश राम अवतार गुप्ता की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले में अभियोजन की मंजूरी राज्यपाल के सचिव ने 29 नवंबर 2024 को दी है। इसके लिए राज्यपाल की शक्तियों को हस्तांतरित किया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगाना

- पांच लाख रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी की ओर से दर्ज की गई थी एफआईआर

उचित होगा।

याचिका में अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने बताया कि राज्यपाल ही कुलपति को नियुक्त करता है और उन्हें ही उसे हटाने की शक्ति होती है। राज्यपाल की शक्तियों को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जबकि इस मामले में राज्यपाल के सचिव ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया और को प्रोफार्मा के आधार पर ही एसीबी को याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत जारी कर दी। इसके अलावा

मामले में राज्यपाल को स्वयं अपने विवेक से अभियोजन स्वीकृति पर फैसला करना था। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले में की जाने वाली समस्त कार्रवाई को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि एसीबी की टीम ने राम अवतार गुप्ता को पांच लाख रुपए की रिश्वत के साथ 5 मई, 2022 को पकड़ा था। राम अवतार पर आरोप है कि एक निजी कॉजिल में छात्रों की सीट बढ़ाने की एवज में यह रिश्वत ली गई थी। एसीबी को कुलपति के कमरे से लाखों रुपए की नकदी और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भी बड़ी धनराशि मिली थी।

रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना के द्वितीय चरण में भूखंड आवंटन के लिये आवेदन मांगे

जयपुर। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के द्वितीय चरण में भूखण्ड आवंटन के लिये 15 मई से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। “राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024” के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ 30 अप्रैल तक एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए रीको द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आरक्षित मूल्य पर आवंटित किये जायेंगे।98 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं जिनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये 253, महिला वर्ग के लिये 224, भूतपूर्व सैनिक के लिये 118, बेंचमार्क डिवांता के लिये 151 तथा शासत्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मुक्त आश्रित के लिये 62 भूखण्ड हैं। करीब 6300 भूखण्ड अनारक्षित हैं।

योजना में ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 28 मई है तथा ई-

- योजना में राइजिंग राजस्थान एमओयू होल्डर्स के लिये करीब 7100 भूखंड आवंटन के लिये उपलब्ध

लॉटर्री 5 जून को प्रस्तावित है। माह मार्च-2025 में प्रारंभ हुए प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के प्रथम चरण में निवेशकों का अत्यधिक उत्साह देखा गया जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 के कार्यक्रम में इस योजना के समय विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि जो निवेशक 30 अप्रैल तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करेंगे। वह भी इस योजना में भूखण्ड

आवंटन हेतु पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से पूर्व लगभग चार माह में 2637 एमओयू निष्पादित हुए थे, परन्तु उक्त घोषणा के बाद 30 अप्रैल तक 1578 नए एमओयू निष्पादित हुए हैं। इस घोषणा के उपरति एमओयू निष्पादन की तेजी से बढ़ती संख्या से रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत भूखण्ड प्राप्त करने में निवेशकों का उत्साह बढ़ा है।

माह मार्च- 2025 में योजना के प्रथम चरण में रीको ने 98 औद्योगिक क्षेत्रों (86 मौजूदा एवं 12 नए) में भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध कराये थे। इस योजना में करीब 350 करोड़ रुपये के 98 भू खण्डों के लिये निवेशकों को आमर लेटर जारी किये गये एवं भूखण्ड आवंटन प्रक्रियाधीन

है।

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू होल्डर्स को रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आरक्षित दर पर औद्योगिक भूखण्ड भूखण्ड उपलब्ध करवाने के लिये योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत रीको द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है। राज्य सरकार का उद्देश्य राइजिंग राजस्थान के जरिये अधिक से अधिक उद्यम राजस्थान में स्थापित करना है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना में आवंटित इन भूखण्डों पर उद्योगों के स्थापित होने से राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे स्थानीय एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

मसाला मेले के लिये सहकारिता विभाग और कॉनफेड की सराहना



सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी एवं संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का विजिट किया।

कि श्री अन्न के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेले में लगभग 25 स्टॉल्स पर ये उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिनके प्रति लोगों का खास रुझान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन से लोगों का सहकारी उत्पादों

पर विश्वास बढ़ रहा है और सहकारी समितियों को भी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहा है। डॉ. भूटानी एवं जैन ने इस अवसर पर डेली लक्की डूॉ के तीन विजेताओं को गिफ्ट हैम्पर भी प्रदान किए।

सीवरेज व नालों की सफाई कराने के निर्देश

जयपुर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलक्टर सभाहगार होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जिला कलक्टर ने जयपुर जिले के दुर्घटना सम्भावना वाले 118 ब्लैक स्पॉट्स पर चल रहे स्थाई व अस्थायी प्रकृति के रेस्टोरेशन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रोड कट्स के कारण हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रेक्ट्रीफिकेशन कार्यों में शीघ्रता लाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए हैं। जिला कलक्टर ने भारतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि रात्रि के समय प्रकाश न होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जिला कलक्टर ने नगर निगम ग्रेटर एवं नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्रों में सीवरेज और नालों मे सफाई कार्य कराने के निर्देश दिए हैं ताकि शहर में बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार का जलभराव न हो। बचाव व राहत कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जे.डी.ए. को उनके क्षेत्र में आ रही सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए ताकि बरसात

के मौसम में गड्ढों में पानी भरने के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से आमजन को बचाया जा सके। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर संतोष कुमार मीणा, एडीशनल एस.पी. एन.एन.एच. जयपुर पुणेन्द्र सिंह, ए.सी.पी. डी.सी.पी. वेस्ट सुरेन्द्र कुमार, ए.सी.पी. कोतवाली उत्तर अनूप सिंह, ए.डी. सी.पी. ईस्ट के.के. अवस्थी, अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग आर.के. सिंह, एस.ई. जे.डी.ए. मोहित चौधरी, एडीशनल डी.सी.पी साउथ पुनमचन्द विश्नोई सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

‘एसएनए-स्पर्श के चरणबद्ध विकास एवं कार्यान्वयन में राजस्थान अग्रणी’

जयपुर। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के निधि हस्तान्तरण की नवीन समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तान्तरण (एसएनए स्पर्श) के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में शासन सचिवालय में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय सहित राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अतिरिक्त सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव ने नवीन प्रणाली में सफलतापूर्वक हस्तान्तरण किए जाने के लिए राजस्थान की प्रशंसा करते हुए अन्य राज्यों को भी राजस्थान की तर्ज पर उनके प्रदर्शन में सुधार लाने का सुझाव दिया।

जयपुर। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा छात्र-छात्राओं को तथ्य समयावधि में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की है। इसमें होने वाले विलंब या समस्या के समाधान के लिए संस्था प्रधान और विभागीय अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ काम कर छात्र-छात्राओं को राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अग्रवाल ने शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के सभागार

वायु सैन्य अधिकारी पत्नी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करने का आदेश

जयपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 महानगर प्रथम ने वायु सैन्य अधिकारी पत्नी सहित उसके परिजनों के खिलाफ प्रताप नगर थाना पुलिस को दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश अभिनव जैन के परिवार पर दिए।

परिवादी के अधिवक्ता संदेश खंडेलवाल ने बताया कि मचैट नेवी में कार्यरत परिवारी और वायु सैन्य अधिकारी का विवाह फरवरी, 2022 में हुआ था। तब परिवादी तलाकशुदा और

- परिवादी अभिनव जैन के परिवार पर अदालत ने प्रतापनगर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिये

वह एयरफोर्स ऑफिसर की विधवा थी। पूर्व पति से उसके एक बेटा भी हुआ था। जिसके पालन पोषण के लिए उसे पेंशन के रूप में अलग से दो लाख रुपए मिलते

हैं। शादी के बाद से ही पत्नी व उसके घरवालों का व्यवहार बदल गया। पत्नी आए दिन गुस्सा करने लगी। वहीं बाद में जयपुर ट्रॉसफर होने पर भी उसे प्रताड़ित किया। उसके सास-ससुर उसकी शादी एयरफोर्स की बड़ी अफसर से होना बताकर बड़ी कार खरीदने के लिए कहते। वह सितंबर 2022 में जयपुर आया तो उन्होंने कहा कि यदि अपने डिमांड पूरी नहीं की तो वे उसका तलाक करा देंगे। इस दौरान 26 जून 2023 को उसके छोटा बेटा हुआ। लेकिन पत्नी की रुपए

की मांग जारी रही। उसे अपने बेटे से भी नहीं मिलने दिया। वह 19 मार्च 2025 को जब एयरफोर्स स्टेशन बेटे से मिलने गयी तो पत्नी व ससुर ने उससे पांच करोड़ रुपए व बीएमडब्ल्यू कार की मांग की और उसके बाद ही बेटे से मिलवाने के लिए कहा। परिवार में कहा गया कि उसकी पत्नी व सास-ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रतापनगर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने को कहा है।